पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 320/2024

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 14.10.20243

हेमराज मीना, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु दिनांक- 14.10.2024 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी है-

01.थाना कंधरापुरः-अवैध तमंचा कारतूस के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार

गिरफ्तारी का विवरण-

अवगत कराना है कि दिनाँक 13.10.24 को व0उ0नि0 रमेश कुमार मय हमराह थाना कंधरापुर आजमगढ़ द्वारा अभियुक्त विवेक गुप्ता पुत्र शिवशंकर गुप्ता निवासी ग्राम जानकीपुर थाना तहबपुर जनपद आजमगढ उम्र 23 वर्ष को चन्द्रमा ऋषि आश्रम की तरफ मुडने वाले रोड के पास से समय करीब 00.40 बजे अवैध देशी तमंचा, कारतूस व 4850/- रूपये नगदी के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 289/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

02.थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़: गुमशुदा किशोर को सकुशल परिजनों को किया गया सुपुर्द

अवगत कराना है कि आवेदक विकास बेक पुत्र इसाक बेक निवासी कुन्दीगढ़ थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ ने थाना कोतवाली पर दिनांक 08/10/2024 को लिखित सूचना दिया कि आवेदक का 14 वर्षीय बेटा विलिमय बेक पुत्र विकास बेक निवासी कुन्दीगढ़ थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ दिनांक 07/10/2024 को घर से बिना बताये चला गया है। काफी तलाश पर नहीं मिला। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. 561/24 धारा 137(2) BNS पंजीकृत कर विवेचना उ.नि. राज नारायण पाण्डेय चौकी इंचार्ज बदरका को सुपुर्द की गयी थी। विवेचना के क्रम में विवेचक द्वारा सुरागरसी पतारसी से ज्ञात हुआ कि बालक घर से नाराज होकर अपने दादा के घर बनारस जाने के लिये बिना घर से बताये ही निकला किन्तु आजमगढ़ रेलवे स्टेशन से गलत ट्रेन पकड़ लेने के कारण दिल्ली पहुँच गया दिल्ली से पुनः बनारस आया और अपने दादा के घर पहुँचा। आज दिनांक 14/10/2024 को गुमशुदा बालक को उसके दादा के घर से सकुशल बरामद कर पिता के घर लाया गया। विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए बालक को उनके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है।